उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–45–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018–27–ज0श0(08)/2003 दिनाँक 11.01.2018

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक मण्डल, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की दिनांक 19.06.2017 को सम्पन्न 129वीं बैठक एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर दिनाँक 13.09.2017 को सम्पन्न बैठक के पत्र संख्या–2321/24–पी–3–2017–सा(61)/2017, दि0 15.09.2017 द्वारा सूचित निर्णय के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में सतर्कता इकाई के नियंत्रणाधीन 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दलों के गठन की स्वीकृति के आदेश एतदद्वारा पारित किये जाते हैं।

2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में पूर्व से कार्यरत 33 प्रवर्तन दल एवं नये गठित होने वाले 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दल अर्थात कुल 88 प्रवर्तन दल प्रदेश के 75 जनपदों में निम्नवत हो जायेंगे :–

(क) प्रदेश के मुख्यालय लखनऊ के अतिरिक्त गाजियाबाद व कानपुर नगर प्रत्येक में 03–03 प्रवर्तन दल।

(ख) गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर व इलाहाबाद, प्रत्येक में 02–02 प्रवर्तन दल।

(ग) शेष 65 जनपदों में से प्रत्येक में 01–01 प्रवर्तन दल।

3. उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1991/24–पी–2–17–सा0(214)/17, दिनाँक 07.12.2017 के माध्यम से प्राप्त आदेशों एवं निदेशक मण्डल, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की दिनाँक 26.12.2017 को सम्पन्न 134वीं बैठक में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार उपरोक्त 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दलों हेतु पुलिस उपनिरीक्षक के 55 नये पदों तथा आरक्षी के 220 नये पदों के सृजन की स्वीकृति, इन शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ एतदद्वारा प्रदान की जाती है कि उक्त पद गृह विभाग के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर भरे जायेगें, प्रतिनियुक्ति की अवधि 03 वर्ष होगी जिसको 02 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकेगा, प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार रखी जायेगी तथा सृजित पदों को गृह विभाग में डेपुटेशन रिर्जव में सम्मिलित माना जायेगा :–

क्रम संख्या	पद नाम	संख्या (प्रति प्रवर्तन दल)	कुल संख्या (55 प्रवर्तन दलों के लिए)
1	पुलिस उपनिरीक्षक	01	55
2	आरक्षी	04	220

4. उक्त 55 प्रवर्तन दलों में से प्रत्येक में अवर अभियन्ता तथा तकनीशियन ग्रेड–2 (लाईन) की व्यवस्था सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को में उपलब्ध जनशक्ति को ही Redeploy कर के की जायेगी एवं इन दलों के लिए वाहन इत्यादि की व्यवस्था भी सम्बन्धित डिस्कॉम/केस्को द्वारा ही की जायेगी।

5. इन आदेशों के फलस्वरूप होने वाला सम्भावित व्यय–भार, संगत वित्तीय वर्ष में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सम्बन्धित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

निदेशक मण्डल, उ0प्र0पा0का0लि0।

संख्या–45(i)–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव (ऊर्जा), ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः...........2

3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I एवं स्तर–II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
10. अध्यक्ष (विद्युत सेवा आयोग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, एस0एल0डी0सी0 परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट www.uppcl.org पर "Orders" एवं "Right to Information" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

आर.के. गुप्ता

(आर0के0 गुप्ता)

उप सचिव (ज0श0 एवं प्र0सु0)